



ईमेल आईडी- info@ukmc.in
दूरभाष/फैक्स नं० 0135-2781201

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

डॉ० आर०के० जैन, अध्यक्ष उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 17.02.2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मा० आयोग की आहूत बैठक का कार्यवृत्त-

दिनांक 17.02.2021, को आहूत बैठक में उपस्थित महानुभाव एवं सदस्यों की उपस्थिति का विवरण:-

1. डॉ० आर०के० जैन, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
2. श्री मज़हर नईम नवाब, मा० उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
3. श्री सरदार इकबाल सिंह, मा० उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
4. श्रीमती सीमा जावेद, मा० सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
5. श्री गुलाम मुस्तफा, मा० सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
6. श्री असगर अली, मा० सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
7. श्री परमिन्दर सिंह, मा० सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
8. श्री सन्तोख सिंह नागपाल, मा० सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
9. श्री जे.एस.रावत, सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
10. श्रीमती शमा प्रवीन, वैयक्तिक सहायक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
11. श्रीमती दीपा बर्वाल, लेखाकार, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।

बैठक में सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित समस्त महानुभाव, सदस्यों एवं कर्मचारियों का स्वागत करते हुए बैठक के एजेण्डानुसार बैठक प्रारम्भ की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं०-1, 2 व 3:- के अनुसार मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा मा० आयोग की दिनांक 01.12.2020 में आहूत बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में, जिसमें भाग-1 में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के मुख्य बिन्दु एवं कृत्य, भाग-2 में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में प्राप्त ऐसे प्रकरण/मामले जिनका मा० आयोग द्वारा संज्ञान नहीं लिया जायेगा तथा भाग-3 में अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से पुनः समीक्षा की गयी, जिसमें सभी महानुभावों/कर्मचारियों द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा अक्षरशः अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् मा० आयोग द्वारा वर्ष 2008 में मा० आयोग की प्रक्रिया नियमावली पर विस्तार से चर्चा की गयी, जिसके क्रम में मा० अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित समस्त महानुभाव द्वारा वर्तमान में मा० आयोग की प्रक्रिया नियमावली तैयार कर मा० आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु सं०-4:- के अनुसार मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि यदि किसी भी शिकायतकर्ता के द्वारा महानुभावों एवं सदस्यों के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत की जाती है, तो संबंधित महानुभाव एवं सदस्य अपने मन्तव्य सहित अध्यक्ष के नाम प्रार्थना-पत्र अग्रसारित करेंगे, तत्पश्चात् शिकायती पत्र पर अग्रिम कार्यवाही अध्यक्ष के निर्देशानुसार की जाय।

एजेण्डा बिन्दु सं०-5 व 6:- के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार के पत्र सं० M/AP/207/67/2013 दिनांक 10.08.2020, के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा शिकायती प्रार्थना-पत्र हेतु ऑनलाईन पोर्टल तैयार करते हुए समस्त आयोगों को भी ऑनलाईन प्रणाली को लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रम में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून में भी ऑनलाईन प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में शिकायती आवेदन-पत्र एवं शपथ-पत्र के तैयार प्रारूप पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में भी मा० आयोग में प्राप्त शिकायती पत्र भी उक्त निर्धारित पत्र पर प्राप्त किये जाय, जिस हेतु निर्धारित शिकायती आवेदन-पत्र व शपथ-पत्र की प्रति समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड को संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। यदि मा० आयोग में कोई शिकायती पत्र साधारण प्रार्थना-पत्र के रूप में प्राप्त होता है, तो उस पर अग्रेतर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता को पृथक से निर्धारित शिकायती आवेदन पत्र

[Signature]

वित्त कर अनिवार्य रूप से मा0 आयोग में प्राप्त किया जाय तथा भारत सरकार की भांति ही उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में भी प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों को ऑनलाईन किये जाने की कार्यवाही आगामी प्राप्त बजट के आधार पर प्रारम्भ की जाय।

एजेण्डा बिन्दु सं0-7:- के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित बजट के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि बजट प्राप्त होने पर समस्त महानुभावों को ससमय मानदेय का भुगतान किया जाय।

एजेण्डा बिन्दु सं0-8:- के अनुसार वर्ष 2021 में मा0 अध्यक्ष द्वारा देहरादून, टिहरी गढ़वाल व उत्तरकाशी, श्री मजहर नईम नवाब, मा0 उपाध्यक्ष द्वारा जनपद हरिद्वार, अल्मोड़ा व बागेश्वर तथा सरदार इकबाल सिंह, मा0 उपाध्यक्ष द्वारा जनपद ऊधमसिंहनगर, चम्पावत तथा पिथारोड़ का माह फरवरी, 2021 व मार्च, 2021 में जन-जानकारी अभियान के अन्तर्गत भ्रमण करेंगे तथा भ्रमण की तिथि स्वयं महानुभाव निर्धारित करते हुए अवगत करायेंगे।

एजेण्डा बिन्दु सं0-9:- में मा0 सदस्यगणों द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर-प्रदेश राज्य में नामित सदस्यों को रू0 25,000/- मानदेय दिया जा रहा है, उसी भांति उत्तराखण्ड राज्य में नामित सदस्यों को भी रू0 6,000/- के स्थान पर रू0 25,000/- मानदेय दिया जाय। इस सम्बन्ध में सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड से अपेक्षित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।

अतः में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि बिना अधोस्ताक्षरी की अनुमति के बिना कोई पत्राचार न किया जाय तथा मा0 आयोग में जो भी सन्दर्भ जिस माध्यम से प्राप्त होते हैं, वह सभी अधोस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत किये जाय। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-2002 में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए आयोग की गरिमा को बनाये रखने के साथ ही बैठक सधन्यवाद समाप्त की जाती है।

(डॉ० आर०के० जैन)

अध्यक्ष,

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।

कार्यालय-उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून

पत्रांक 1105

प्रतिलिपि:-

/उ0अ0स0/बैठक-कार्यवृत्त/2020-21 दिनांक 18 फरवरी, 2021

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 उपाध्यक्षगण, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
2. मा0 सदस्यगण, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
3. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।

अध्यक्ष

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।